राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.17(19)नविवि/नियम/2019 दिनांक : 16 JUN 2021

आदेश

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में कृषि एवं दुग्ध आधारित गतिविधियों को सुव्यवस्थित ढंग से स्थापित करने, इन गतिविधियों हेतु कच्चे माल की उपलब्धता एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों हेतु व्यवसायिक प्रोत्साहन एवं रोजगार सृजन की उपलब्धता की संभावनाओं तथा वर्तमान में कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने की दृष्टि से व्यापक जनहित में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार डेयरी स्कीम के साथ–साथ/सामान्य एवं कृषि आधारित वेयरहाउसिंग/गोदाम आदि उपयोग हेतु नगरीय निकायों द्वारा सृजित योजनाओं के भूखण्डों पर कृषि/दुग्ध आधारित एवं दुग्ध उत्पाद गोदाम, शीतलीकरण संयत्र एवं कृषि एवं दुग्ध से बनने वाले उत्पादों हेतु Processing Plant प्रयोजनार्थ राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरान्त भूखण्डों का राज्य सरकार की भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत् निर्धारित दर/डीएलसी दर के 50 प्रतिशत पर राज्य सरकार की स्वीकृति उपरांत आवंटन किया जा सकेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार; जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
7. आयुक्त, उद्योग विभाग जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
11. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
12. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
13. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner